संख्या- 721/एक-9-2024-रा-9

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-09 **लखनऊः दिनांक 04 जुलाई, 2024**

विषयः राजस्व विभाग द्वारा संचालित सेवाओं के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जाति प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया गया हैः-

(1)- सर्वप्रथम आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई0डी0 सहित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन किया जायेगा।

(2)- लॉगिन के बाद आवेदक द्वारा अपना आधार नम्बर तथा मोबाइल नम्बर भरा जायेगा।

(3)- तदुपरान्त आवेदक के आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगी।

(4)- आवेदक द्वारा ओ0टी0पी0 सबमिट करते ही आवेदक का वही नाम, जन्मतिथि एवं फोटो प्रदर्शित होगा, जो उसके आधार कार्ड में अंकित है (आवेदक के लिए फोटो बदले जाने का भी विकल्प उपलब्ध होगा)।

(5)- सत्यापन के उपरान्त आवेदक की फैमिली आई0डी0 (यदि हो तो) फैमिली आई0डी0 सर्वर से स्वतः प्राप्त हो जायेगी।

(6)- एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 (जो क्रीमिलेयर से आच्छादित न हों) वर्ग के आवेदक, जो प्रेसीडेंसियल आदेश/केन्द्र सूची/राज्य सूची में अंकित जाति से आच्छादित हों एवं उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी हों, तो ऐसे आवेदकों में, यदि पुंजातीय परिवार (जैविक पिता) के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, आधार अधिप्रमाणन कर, फैमिली आई0डी0 से लिंक करते हुए निर्गत किया जा चुका हो, तो उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे पुंजातीय परिवार के आवेदकों यथा-पिता, पुत्र, पुत्री, ट्रांसजेंडर सन्तान, भाई, बहन, पुत्र का पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्र की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ट्रांसजेंडर सन्तान के जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) की संतुष्टि पर, बिना सत्यापन/जांच के निर्गत किये जायेंगे।

(7)- यदि, एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र फैमिली आई0डी0 से लिंक करते हुए निर्गत किये गये हों, तो ऐसे परिवार के आवेदक द्वारा यह विकल्प दिया जायेगा कि किस जाति प्रमाण पत्र धारक से सम्बन्ध के आधार पर, बिना सत्यापन/जांच के उसे प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(8)- यदि, एक ही परिवार के सदस्यों के पृथक-पृथक जाति के प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हों, तो ऐसे परिवार के आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार सत्यापन/जांच के उपरान्त निर्गत किये जायेंगे।

(9)- ओ0बी0सी0 वर्ग के आवेदक, जो क्रीमीलेयर से आच्छादित न हों, के जाति प्रमाण पत्र, उनके आय प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की समयावधि के अन्दर आवेदन किये जाने पर, उनके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे आय प्रमाण पत्र की संख्या को भरे जाने का विकल्प उपलब्ध होगा। आय प्रमाण पत्र संख्या भरे जाने के उपरान्त, पोर्टल पर उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार, आवेदक के परिवार की आय का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसके आधार पर आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जायेगी कि वह वर्तमान में उक्त परिवार का सदस्य है तथा उसकी आय क्रीमीलेयर से आच्छादित नहीं है। तदोपरान्त, सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा अपनी संतुष्टि के आधार पर, सत्यापन/जाँच कराते हुए अथवा बिना सत्यापन/जॉच कराये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा सकेंगे।

(10)- विवाह के फलस्वरूप परिवार का सदस्य बनी महिला आवेदकों (यथा-माता, पत्नी, पुत्रवधू) तलाकशुदा, पुनर्विवाहिता, परित्यकता, सिंगल फादर/सिंगल मदर की दत्तक सन्तान/जैविक सन्तान (अज्ञात पिता), अनाथ, प्रवजन, धर्मान्तरण, पुनर्धर्मान्तरण, दत्तक ग्रहण से आच्छादित आवेदकों तथा न्यायालय के समक्ष विवादित जाति/आवेदक के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार सत्यापन/जांच के उपरान्त निर्गत किये जायेंगे। (11)- ऐसे आवेदक, जिनके पुंजातीय परिवार के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बिना आधार अधिप्रमाणन के निर्गत किया गया हो, उनके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे जाति प्रमाण पत्र संख्या को भरे जाने का विकल्प उपलब्ध होगा। जाति प्रमाण पत्र संख्या भरे जाने के उपरान्त आवेदक के परिवार का विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, जिसके सही होने की स्वीकृति आवेदक द्वारा दिये जाने पर, सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) द्वारा अपनी संतुष्टि के आधार पर, सत्यापन/जांच कराते हुए अथवा बिना कराये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12)- शासनादेश संख्या-79/एक-9-2024-रा-9, दिनांक 23.01.2024 एवं शासनादेश संख्या- 12-2015/447/1-4-15-151बी-4/12, दिनांक 24.03.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, ई- डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु पोर्टल पर व्यवस्था की जायेगी तथा बिना सत्यापन/जांच के आधार पर निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) के डिजिटल हस्ताक्षर से दो कार्यदिवस में निर्गत किये जायेंगे।

(13)- आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जायेगी कि उसके परिवार के किसी सदस्य को निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सक्षम विवादग्रस्त नहीं है तथा उसके द्वारा पोर्टल पर भरी गयी समस्त सूचनायें सही है। उसके द्वारा भरी गयी किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की दशा में, उसे निर्गत किये गये प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने के साथ ही उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रक्रियानुसार जाति प्रमाण पत्रों के निर्गमन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2-प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5-राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6-राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनुराग पटेल
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in